

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

फोन न. 07432-230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक-न्याय/2018/ 7309

दिनांक: 20.12.2018

:- आदेश :-


पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विविध/झाला/18/40456-57 दिनांक 18.12.2018 से पुलिस थाना खानपुर के अभियोग सं० 434/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त जगन सिंह पिता अनार सिंह जाति सिगलीगर निवासी गारी थाना भगवानपुरा जिला खरगोन म.प्र. के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.11.18 को श्री हनुमान सिंह हैड कानि० 1040 मय जाप्ता वास्ते गश्त ईलाका व चैकिंग अवैध कार्य की रोकथाम हेतु मरायता रोड मेगा हाईवे पर पहुंचा तो मरायता मोड़ यात्री प्रतीक्षालय के पास एक व्यक्ति खडा नजर आया, जो पुलिस जाते को बावर्दी देखकर मरायता की तरफ जाने लगा, जिसको डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगन सिंह पिता अनार सिंह जाति सिगलीगर निवासी गारी थाना भगवानपुरा जिला खरगोन म.प्र. बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी ली तो कमर पर पीछे पहनी हुई पेंट के अंदर एक देशी पिस्टल मिली तथा शर्ट के आगे की जेब से एक जिंदा कारतूस 7.65 केएफ मिला, जिसको अपने कब्जे में रखना या परिवहन करने के संबंध में अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध सं० 434/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त जप्तशुदा एक देशी पिस्टल 7.65 एमएम एवं एक जिंदा कारतूस का आर्मारर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक देशी पिस्टल 7.65 एमएम फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद में आती है एवं जिंदा कारतूस 7.65 एमएम एम्युनेशन की परिभाषा में आना बताया। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र मारू एसआई व आर्मारर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड एक देशी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मारर की सील से सीलड करवाया गया। जक्ती रिपोर्ट एवं आर्मारर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मारर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त जगन सिंह पिता अनार सिंह जाति सिगलीगर निवासी गारी थाना भगवानपुरा जिला खरगोन म.प्र. के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


(डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़

